रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 60] नई दिल्ली, वीरवार, मार्च 1, 1984/फाल्गुन 11, 1905
No. 60] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1984/PHALGUNA 11, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1984

विदेश यात्रा कर

सा. का. नि. 88(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, 5 मार्च, 1984 से 10 मार्च, 1984 तक नई दिल्ली में होने वाले अपील न्यायाधीशों और कामनवैल्थ मूल्य न्यायमूर्तियों के तीसरे अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए आने वाले प्रतिनिधियों को,

उक्त सम्मेलन की समाप्ति पर भारत से बाहर किसी स्थान को उनकी अंतरराष्ट्रीय यात्रा की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देती है ।

2. यह अधिसूचना 15 मार्च, 1984 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी ।

[सं. 2/एफ.टी.टी./84-फा. सं. 306/2/84-एफ टी टी]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st March, 1984

NOTIFICATION

FOREIGN TRAVEL TAX

G.S.R. 88(E).—In exercise of the powers conferred by section 36 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient so to do, hereby exempts delegates coming to attend the Third International Conference of Appellate Judges and Commonwealth Chief Justices to be held in New Delhi from the 5th March, 1984 to the 10th March, 1984, from the payment of foreign travel tax leviable under sub-section (1) of section 35 of the said Act, in respect of their international journey to any place outside India at the close of the said Conference.

2. This Notification shall remain in force upto and inclusive of the 15th March, 1984.

[No. 2/FTT/84-F. No. 306/2/84-FTT]

SUNIL KUMAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984